



उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

विज्ञापन संख्या: उ0चि0से0च0बो0/परी0/05/2023-24/213

दिनांक: 13 मार्च, 2024

प्राफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर परीक्षा- 2024 (राजकीय मेडिकल कॉलेजों हेतु)

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत प्रोफेसर के रिक्त 53 पदों एवं एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त 103 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	13 मार्च, 2024 (बुधवार)
ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	01 अप्रैल, 2024 (सोमवार)
ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	30 अप्रैल, 2024 (मंगलवार) (सांय 05.00 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking /Debit/Credit Card/UPI के माध्यम से जमा करने की अन्तिम तिथि	30 अप्रैल, 2024 (बुधवार) (सांय 05.00 बजे तक)

पदों का विवरण

01. रिक्तियों का विवरण:- चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड विभागन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत प्रोफेसर के रिक्त पदों की संख्या 53 तथा एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों की संख्या 103 है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद का नाम	वेतनमान	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	सामान्य/ अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रोफेसर	वेतनमान (144200-218200) लेवल-14	53	24	00	00	00	29
एसोसिएट प्रोफेसर	वेतनमान (131100-216600) लेवल-13 (क)	103	33	00	08	03	59

नोट- उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 79293/XXVIII(5)/2022-(E-22311) दिनांक 28 नवम्बर 2022 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र अर्थात श्रीनगर/अल्मोड़ा के लिए Medical Teachers Deficiency Compensatory Scheme के अधीन 50 प्रतिशत भत्ता अनुमन्य होगा।

02. प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर के विषयवार/संकायवार पदों के क्षेत्रीय आरक्षण विवरण हेतु क्रमशः परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' का अवलोकन करें।

03. प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर के विषयवार/संकायवार पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

—:प्रोफेसर:—

क्र० सं०	विभाग का नाम	पद कोड	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित/ सामान्य
1	एनेस्थीसिया	001	01	01	00	00	00	00
2	एनाटॉमी	002	03	01	00	00	00	02
3	बायोकैमिस्ट्री	003	03	01	00	00	00	02
4	ब्लड बैंक	004	02	01	00	00	00	01
5	कम्युनिटी मेडिसिन	005	02	01	00	00	00	01
6	डेंटिस्ट्री	006	02	01	00	00	00	01
7	डर्मटोलॉजी	007	01	01	00	00	00	00
8	इमरजेन्सी मेडिसिन	008	02	01	00	00	00	01
9	फॉरेंसिक मेडिसिन	009	02	01	00	00	00	01
10	जनरल मेडिसिन	010	03	01	00	00	00	02
11	जनरल सर्जरी	011	02	01	00	00	00	01
12	माइक्रोबायोलॉजी	012	04	01	00	00	00	03
13	ऑब्स्टेट्रीक एंड गायनी	013	01	01	00	00	00	00
14	ऑप्थैलमोलॉजी	014	02	01	00	00	00	01
15	आर्थोपेडिक्स	015	01	00	00	00	00	01
16	ओटो-राइनो-लेरिंगोलॉजी	016	01	01	00	00	00	00
17	पैथोलॉजी	017	03	01	00	00	00	02
18	पीडियाट्रिक्स	018	03	01	00	00	00	02
19	फार्माकोलॉजी	019	01	01	00	00	00	00
20	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	020	02	01	00	00	00	01
21	फिजियोलॉजी	021	02	01	00	00	00	01
22	साईकाइट्री	022	02	01	00	00	00	01
23	रेडियोडायग्नोसिस	023	03	01	00	00	00	02
24	रेडियोथेरेपी	024	03	01	00	00	00	02
25	रेस्पीरेट्री मेडिसिन	025	02	01	00	00	00	01
कुल योग			53	24	00	00	00	29

—:एसोसिएट प्रोफेसर:—

क्र० सं०	विभाग का नाम	पद कोड	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित/ सामान्य
1	एनेस्थीसिया	051	08	02	00	01	01	04
2	एनाटॉमी	052	02	01	00	00	00	01
3	बायोकैमिस्ट्री	053	03	01	00	00	00	02
4	ब्लड बैंक	054	02	01	00	00	00	01
5	कम्युनिटी मेडिसिन	055	04	01	00	01	00	02
6	डेंटिस्ट्री	056	02	01	00	00	00	01
7	डर्मटोलॉजी	057	02	01	00	00	00	01
8	इमरजेन्सी मेडिसिन	058	02	01	00	00	00	01
9	फोरेंसिक मेडिसिन	059	02	01	00	00	00	01
10	जनरल मेडिसिन	060	12	03	00	01	01	07
11	जनरल सर्जरी	061	10	03	00	01	01	05
12	माइक्रोबायोलॉजी	062	03	01	00	00	00	02
13	ऑब्स्टेट्रीक एंड गायनी	063	06	02	00	01	00	03
14	ऑथैलमोलॉजी	064	02	01	00	00	00	01
15	आर्थोपेडिक्स	065	05	01	00	01	00	03
16	ओटो-राइनो-लेरिंगोलॉजी	066	04	01	00	00	00	03
17	पैथोलॉजी	067	08	02	00	01	00	05
18	पीडियाट्रिक्स	068	05	02	00	01	00	02
19	फार्माकोलॉजी	069	03	01	00	00	00	02
20	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	070	02	01	00	00	00	01
21	फिजियोलॉजी	071	03	01	00	00	00	02
22	साईकाइट्री	072	03	01	00	00	00	02
23	रेडियोडायग्नोसिस	073	05	01	00	00	00	04
24	रेडियोथेरेपी	074	02	01	00	00	00	01
25	रेस्पिरेट्री मेडिसिन-टी0बी0 एण्ड चेस्ट	075	03	01	00	00	00	02
कुल योग			103	33	00	08	03	59

04. वेतनमान :-

1. प्रोफेसर:- वेतनमान (144200-218200) लेवल- 14
2. एसोसिएट प्रोफेसर:- वेतनमान (131100-316600) लेवल- 13 (क)

नोट- उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 79293/ XXVIII(5)/2022-(E-22311) दिनांक 28 नवम्बर 2022 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र अर्थात् श्रीनगर/अल्मोड़ा के लिए Medical Teachers Deficiency Compensatory Scheme के अधीन 50 प्रतिशत भत्ता अनुमन्य होगा।

05. पद का स्वरूप:- राजपत्रित; अंशदायी पेंशन युक्त।

06. शैक्षिक अर्हता:- As per latest NMC-TEQ Regulations - Minimum qualifications for teachers in Medical Institutions Regulations 22 February, 2022. के अनुसार।

अधिमानी अर्हताएं—अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने,

(क) प्रादेशिक सेना (Territorial Army) में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

07. अभ्यर्थी का देश की किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

नोट:- नॉन क्लीनिकल विषयों में एम०एस.सी०(मेडिकल)/पी०एच०डी०- मेडिकल डिग्री धारित अभ्यर्थियों हेतु मेडिकल काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है।

08. आयु:- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2023 को न्यूनतम 30 वर्ष हो तथा अधिकतम 62 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य ऐसी श्रेणियों, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, को उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी नियमों में विनिर्दिष्ट की गयी हो।

नोट— उक्त पदों पर अधिवर्षता आयु 65 वर्ष निर्धारित है।

09. अधिकतम आयु सीमा में छूट:- उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या: 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या- 6/1/72 कार्मिक-2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। शासनादेश संख्या: 406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश संख्या: 124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिषा-निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 11/XXXI(2)/2022-30(2)2019, दिनांक 16 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित ऊर्ध्वाधर श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट हेतु प्राविधान अनुमन्य है।

10. **अनापत्ति प्रमाण पत्र**:- जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में नियमित रूप से कार्यरत हो, उन्हें सम्बन्धित विभाग का विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. **आरक्षण**: आरक्षण मात्र उत्तराखण्ड के स्थाई निवास प्रमाण पत्र धारकों को देय होगा।
- ऊर्ध्व आरक्षण** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
 - क्षैतिज आरक्षण** उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों, उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे, जिनके माता-पिता की कोई जानकारी न हो, एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।
 - आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति ऑनलाईन आवेदन करने के समय आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
 - शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है। 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' हेतु शासनादेश संख्या: 51/XXX(2)/2021-53(01)/2001 दिनांक 09 फरवरी, 2021 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पद पर पात्र अभ्यर्थी न मिलने की दशा में ऐसे पद को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जायेगा। **वित्तीय वर्ष 2023-24 या 2024-25 हेतु जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।**
 - शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में सेवायोजित करने के उद्देश्य से अनारक्षित श्रेणी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। "अनाथ बच्चों" से उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित तथा पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से है, जिनके माता-पिता एवं माता-पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को, जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त जारी प्रमाण पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।
- शासनादेश संख्या: 11/XXX(2)/2022-30(2) दिनांक 16 फरवरी 2022 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता-पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2021 के अनुसार प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों को उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर अनाथ बच्चों, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु उनके जन्म से 21 वर्ष की आयु में हुई हो, के लिए आरक्षण के अधीन चयनित कोई अनाथ, जिस श्रेणी का होगा, उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा। अनाथ बच्चों के लिए आरक्षित पदों पर कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पद को अग्रणीत नहीं किया जायेगा बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। शासनादेश संख्या: 11/XXXI(2)/2022-30(2)2019ए दिनांक-16 फरवरी, 2022

- के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित ऊर्ध्वाधर श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट हेतु प्राविधान अनुमन्य हैं।
- f. दिव्यांगजन हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017 दिनांक 05 जून 2023 के अनुसार दिव्यांगता श्रेणी OL (One Leg Affected) (एक पैर प्रभावित) अभ्यर्थियों को ही प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के पदों हेतु आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। दिव्यांग आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। जिस-जिस दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित है, उसी दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा। दिव्यांग आरक्षण के लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग आरक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- g. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्या: 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। **सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।**
- h. अनुसूचित जाति/जनजाति के जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन करेंगे, उन्हें उत्तराखण्ड राज्य का आरक्षित श्रेणी में होने का उत्तराखण्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वही अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी में आवेदन करेंगे, जिनका उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का होने का प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या: 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार निर्गत किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तथा शासनादेश दिनांक 26.02.2016 की शर्तों के अनुसार निर्गत होने पर अधिकतम तीन वर्ष के लिए मान्य होगा। **अर्थात् दिनांक 30 अप्रैल 2021 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2024 (मंगलवार) के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।** इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
- i. **“पूर्व सैनिक”** से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो- **(एक)** अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या **(दो)** चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या **(तीन)** जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कार्मिकों की कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या **(चार)** विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेज्युटी प्रदान की गई है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं-**(क)** निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, **(ख)** सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, **(ग)** शौर्य पुरस्कार पाने वाले।
नोट: पूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।
- j. **“स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित”** से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के **(क)** पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) **(ख)** पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) **(ग)** पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।
- k. आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखण्ड के नागरिकों को ही अनुमन्य होगा, जिसके लिये उत्तराखण्ड के उस जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो, जहां का वह व्यक्ति निवासी हो।
- l. जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।
- m. **ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शायी गई सम्बन्धित आरक्षण की श्रेणी/उपश्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।**
- n. प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों में पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित तथा दिव्यांगजनों हेतु पद आगणित नहीं हो रहे हैं।

12. राष्ट्रीयता:- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, यूगांडा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ख) से संबंधित है, प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी:- जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

13. चरित्र:- सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी: संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

14. वैवाहिक प्रास्थिति:- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसका एक से अधिक पति जीवित हो; परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

15. शारीरिक योग्यता-किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को राजपत्रित पद या सेवा के मामले में नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उसे निर्धारित मेडिकल बोर्ड से स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परन्तु दिव्यांग अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार शारीरिक योग्यता मान्य होगी।

16. चयन प्रक्रिया कुल 100 अंक

क्र० सं०	विवरण	मूल्यांकन	अंक
1	पेपर प्रकाशन (Paper Publication)	01 प्रकाशन के 5 अंक, अधिकतम-20 अंक नोट: 1- पेपर प्रकाशन एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मान्य होंगे। 2- पद हेतु न्यूनतम अर्हता के लिए वांछित प्रकाशन के	20

क्र० सं०	विवरण	मूल्यांकन	अंक
		उपरान्त के प्रकाशन के अंक देय होंगे।	
2	अनुभव (Experience)	पूर्ण 01 वर्ष हेतु 04 अंक, अधिकतम-20 अंक नोट: 1- अनुभव राज्य/केन्द्र/स्वायत्तशासी राजकीय चिकित्सालय, राजकीय मेडिकल कालेज के मान्य होंगे। निजी क्षेत्र का अनुभव, अंक निर्धारण हेतु मान्य नहीं होगा। 2- न्यूनतम निर्धारित अर्हता के बाद के अनुभव के अंक देय होंगे।	20
3	अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (Additional Educational Qualification)	एम०सी०एच०/डी०एम०/डी०एन०बी० सुपर स्पेशलिटी	10
4	साक्षात्कार (Viva)	—	50

17. पेपर प्रकाशन, जिस समय स्वीकृत हुआ है, उस समय एम०सी०आई०/एन०एम०सी० द्वारा जारी की गई लागू अधिसूचनाओं के अनुसार मान्य होंगे।
18. प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर की शैक्षिक अर्हता हेतु एन०एम०सी०/एम०सी०आई० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित अनिवार्य न्यूनतम पेपर प्रकाशन एवं अनुभव के उपरान्त के पेपर प्रकाशन तथा अनुभव के अंक देय/अनुमन्य होंगे।
19. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश
- अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाएं तथा Apply Now पर क्लिक करें।
 - ऑनलाइन आवेदन हेतु **Professor/Associate Professor Examination-2024** के सम्मुख **"Apply Now"** पर जाएं क्लिक करें।
 - अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जायें। ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 01 अप्रैल, 2024 (सोमवार) से www.ukmssb.org पर उपलब्ध रहेगा।
 - ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा आवश्यक अभिलेख संलग्न करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल 2024, (मंगलवार) (सांय 05.00 बजे तक) है।
 - अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन को भली-भाँति पढ़ लें। सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें।
 - जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित पद के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं करेंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।
 - ऑफलाइन/हार्डकॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
 - अधूरे/अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
 - वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र का विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही-सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।
 - ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर **Click** करें एवं पुनः सही प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **I Agree** पर **Click** करें।

- k. वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (50KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर JPG FORMAT (50KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।
- l. आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर **Continue** करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर **Click** करें।
- m. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI द्वारा ही जमा करा सकते हैं।
- n. आवेदन पत्र भरने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे संदर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।
- o. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- p. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि तक के ही मान्य होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

20. ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किये जाने हेतु प्रक्रिया:-

ऑनलाइन आवेदन भरने के तीन चरण हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

- a. Step 1: Registratiom
- b. Step 2: Application Submission
- c. Step 3: Fee Submission

➤ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का विवरण:-

- a. आवेदकों द्वारा UKMSSB की वेबसाईट **www.ukmssb.org** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन भरने का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- b. आवेदकों को पहले UKMSSB की वेबसाईट **www.ukmssb.org** पर Apply Now में जाकर "Candidate, register Here" लिंक पर क्लिक कर अपना Registration करना अनिवार्य होगा।
- c. आवेदकों को Registration करने के लिए वैध ई-मेल आई.डी. और मोबाईल नम्बर का होना आवश्यक है।
- d. Registration करते समय अभ्यर्थी नाम, पदनाम, दूरभाष नम्बर तथा ई-मेल सावधानी पूर्वक अंकित करें।
- e. Registration प्रोफाइल को सुरक्षित करने के उपरान्त अभ्यर्थी को उनके द्वारा अंकित की गई ई-मेल आई.डी. और मोबाईल नम्बर पर पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड सिस्टम द्वारा प्रेषित किया जायेगा।
- f. अभ्यर्थी पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अंकित कर ऑनलाइन पत्र पोर्टल में लॉग-इन कर सकते हैं।
- g. ऑनलाइन पोर्टल में लॉग-इन करने के उपरान्त आवेदक अपने से सम्बन्धित चाहे गए विवरण को भर कर सुरक्षित कर लें। डाटा को सुरक्षित करने से पूर्व अंकित किए गए डाटा का मिलान कर लें। विवरण भरने के उपरान्त आवेदक को उसकी शैक्षिक अर्हता, पेपर प्रकाशन, अनुभव, अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता तथा काउंसिल में पंजीकरण सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि वह जिस शैक्षिक अर्हता, पेपर प्रकाशन, अनुभव, अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता तथा काउंसिल के विवरण का उल्लेख कर रहे हो वे उससे सम्बन्धित दस्तावेज को संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल के साथ सलग्न कर अपलोड करें।
- h. परीक्षा परिणाम घोषित (Result Declaration Date) करने की तिथि के कॉलम में वह तिथि अंकित करे जिस तिथि को अन्तिम मार्कशीट अभ्यर्थी को जारी की गई है।
- i. अभ्यर्थी मेडिकल काउंसिल पंजीकरण विवरण में भारत देश के किसी भी राज्य के मेडिकल काउंसिल में आवेदन करने की तिथि में सम्यक रूप से पंजीकृत होने का विवरण का अंकन करेंगे, यदि अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल काउंसिल प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया गया है तो वैधता की तिथि वह अंकित करें जो तिथि प्रमाण पत्र में अंकित की गई है।
- j. अभ्यर्थी को नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (SIZE: 20 KB to 50 KB) और हस्ताक्षर (SIZE 5 KB to 20 KB) की 'ईमेज' को स्कैन कर अपलोड कराना अनिवार्य होगा तथा साथ ही एक संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (A Combined Single PDF File), जिसका साइज 200 के0बी0 से 05 एम0बी0 तक होगा, अपलोड किया जाना अनिवार्य है:-

संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (A Combined Single PDF File) में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है।

1. High School Certificate*
 2. Intermediate Certificate *
 3. Domicile of Uttarakhand **(If Any)**
 4. Category certificate SC/ST/OBC/EWS
 5. Sub Category Certificates: Dependent of Freedom Fighter (DFF)/Ex-Army /Differently abled (PH)/ Orphan Children of Uttarakhand State **(If Any)**
 6. UG Marksheet* (All Year/Semester)
 7. UG Degree Certificate*
 8. PG Marksheet* (All Year/Semester)
 9. PG Degree Certificate *
 10. PhD Degree (For non clinical) **(If any)**
 11. DM/M.Ch./DNB Super Specialty) **(If Any)**
 12. Experience Certificates*
 13. Paper Publications* **(Only first page of each paper)**
 14. Medical Council Registration Certificate (With Validity)*
 15. NCC/Territorial Army Certificate **(If Any)**
- k. आवेदक की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि आवेदक पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश ऑनलाईन पोर्टल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले Registration Form को संशोधित करना होगा।
- l. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन सिस्टम द्वारा स्वीकार किये जाएंगे।
- m. अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के उपरान्त अपने आवेदन पत्र में बदलाव नहीं कर सकेंगे।
- n. उस आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।
- o. UKMSSB द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता:-
- नेट बैंकिंग
 - डेबिट कार्ड
 - क्रेडिट कार्ड
 - यू0पी0आई0

21. **शुल्क:-** ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा। तत्पश्चात् पूरा आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन (Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI) के माध्यम से जमा करा सकता है। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है, तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाईन आवेदन की प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र.सं.	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)	₹2000.00/-मात्र
02	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई0डब्लू0एस0)	₹1000.00/-मात्र
03	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	₹2000.00/-मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	₹1000.00/-मात्र
05	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति(एस0टी0)	₹1000.00/-मात्र
06	उत्तराखण्ड दिव्यांग	₹1000.00/-मात्र

नोट

- a. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक उप-श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- b. जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
- c. आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन रद्द (cancel) करने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

22. अनुभव प्रमाण पत्र- अनुभव प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जो कि विभाग/संस्था के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया हो। कृते का उल्लेख करते हुए निर्गत किये हुए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी, मेडिकल कालेज के निदेशक/प्रधानाचार्य/प्राचार्य/रजिस्ट्रार ही होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी किस तिथि को नियुक्त हुआ और किस तिथि तक निरन्तर कार्यरत रहा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अनुपस्थिति के कारण पुनः कार्यभार ग्रहण किया गया है तो अनुपस्थिति अवधि को अनुभव में आंगणित नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी का अनुभव पूर्ण 01 वर्ष अर्थात् 365 दिन होने पर ही आंगणित किया जायेगा। न्यूनतम निर्धारित अर्हता के बाद के अनुभव के अंक देय होंगे।

23. आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम. /तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या: 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का पूर्व से निर्गत प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि या इससे पूर्व वैध था परन्तु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैधता समाप्त हो गई है और नया प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत हुआ है तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा उसे अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ अनुमन्य नहीं होगा ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। शासनादेश संख्या: 23/XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। (ख) क्षेत्रीय आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी सम्बन्धित प्रमाण पत्र हेतु अधिवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यर्थी यदि विवाह के पश्चात् जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती है तो उसे अपने पिता पक्ष का भी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

24. अति महत्वपूर्ण निर्देश

- a. अभ्यर्थी लम्बवत् एवं क्षेत्रीय आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक वैध अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- b. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।
- c. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें।

- d. बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
- e. अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं थी/था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जाती/जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- f. ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाये गये विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में श्रेणी/उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र की निर्गत तिथि तथा प्रमाण पत्र संख्या में किसी भी दशा में किसी भी प्रकार से परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय सावधानीपूर्व श्रेणी/उपश्रेणी के विवरण का अंकन करें।
- g. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन-पत्र, उपस्थिति-सूची आदि में तथा बोर्ड के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गये हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो बोर्ड उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- h. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें।
- i. बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- j. विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- k. **हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।**
- l. **अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय सभी शैक्षिक अर्हता, पेपर प्रकाशन, अनुभव, अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता तथा काउंसिल के विवरण का अंकन सही-सही करें।** ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित किये गये शैक्षिक अर्हता, पेपर प्रकाशन, अनुभव, अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता तथा काउंसिल के दावे के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
- m. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा चयन हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- n. बोर्ड से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को पत्राचार में अपने हस्ताक्षर वैसे ही करने होंगे जैसा कि उन्होंने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अपलोड किये हैं। बोर्ड के साथ पत्राचार अभ्यर्थी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मान्य नहीं होगा।

- o. शैक्षिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित समस्त दावे आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक मान्य होंगे। उसके पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- p. अभ्यर्थियों को चयन से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।
- q. साक्षात्कार भवन/अभिलेख सत्यापन में आचरण:— अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार के समय कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा बोर्ड द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचार के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।
- r. कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही— अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण करना चाहिए। चयन के चरणों में अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।
- s. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि बोर्ड को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- t. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।
- u. अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया जाएगा: —
- अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात्
 - (क) गैर कानूनी रूप से परितोषाण की पेशकश करना
 - (ख) अनुचित दबाव डालना, या
 - उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे:—
 - बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें वह प्रतिभाग कर रही/रहा है, और/अथवा
 - उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए: —
 - बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है,
 - राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है,
 - यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि:—
 - अभ्यर्थी को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और,
 - अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया हो।

25. अंगूठे का निशान (Thumb Impression)— सभी अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में उपलब्ध कराए गए उपस्थिति प्रपत्र तथा अन्य प्रपत्रों में निर्धारित स्थान पर अपने अंगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अंगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अंगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

26. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि अधिमानी अर्हता नहीं है तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा।
27. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।
28. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा।
29. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।
30. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी। पेपर प्रकाशन, अनुभव, शैक्षिक अर्हता तथा अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता वही मान्य होगी जो कि आवेदन पत्र में अंकित की गई हो।
31. सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति नियोक्ता अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
32. अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार के सम्बन्ध में सूचना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसी के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे, जिन्हें डाउनलोड करके अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी को लाना होगा। बिना प्रवेश-पत्र के अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में प्रतिभाग नहीं कर सकेगी/सकेगा।
33. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के सम्बन्ध में भ्रामक सूचनाओं का प्रसारण करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम- 2023 में किये गये संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
34. यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु बोर्ड की ई-मेल helplineukmssb@gmail.com या दूरभाष 0135-2665366 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
35. साक्षात्कार एवं अभिलेख सत्यापन माह अगस्त-सितम्बर 2024 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
36. साक्षात्कार एवं अभिलेख सत्यापन के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित तिथि की सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसी के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे, जिन्हें डाउनलोड करके अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को लाना होगा। बिना प्रवेश-पत्र के अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार में प्रतिभाग नहीं कर सकेगी/सकेगा।
37. परीक्षा से सम्बन्धी किसी भ्रामक खबर प्रचार-प्रसार न करें। किसी भी प्रकार की सूचना हेतु बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये दूरभाष नम्बर तथा ई-मेल पर सम्पर्क करें।

ह0/-

(प्रो0 विजय जुयाल)

परीक्षा नियंत्रक,

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत प्रोफेसर के रिक्त पदों पर विषयवार क्षैतिज आरक्षण की गणना

पदनाम:- प्रोफेसर (एनेस्थीसिया) पदकोड:- 001								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य/अनारक्षित	0	0	0	0	0	0	0
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		1	0	0	0	0	0	1

पदनाम:- प्रोफेसर (एनॉटमी) पदकोड:- 002								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		3	0	0	0	0	0	3

पदनाम:- प्रोफेसर (बॉयोकेमिस्ट्री) पदकोड:- 003								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		3	0	0	0	0	0	3

पदनाम:- प्रोफेसर (ब्लड बैंक) पदकोड:- 004								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5%	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- प्रोफेसर (कम्युनिटी मेडिसिन) पदकोड:- 005								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5%	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- प्रोफेसर (डेंटिस्ट्री) पदकोड:- 006								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनि क 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- प्रोफेसर (डर्मेटोलॉजी) पदकोड:- 007								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	0	0	0	0	0	0	0
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		1	0	0	0	0	0	1

पदनाम:- प्रोफेसर (इमरजेन्सी मेडिसिन) पदकोड:- 008								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- प्रोफेसर (फॉरेन्सिक मेडिसिन) पदकोड:- 009								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1	2	6	7	8	9	10	11	13
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- प्रोफेसर (जनरल मेडिसिन) पदकोड:- 010								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		3	0	0	0	0	0	3

पदनाम:- प्रोफेसर (जनरल सर्जरी) पदकोड:- 011								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- प्रोफेसर (माइक्रोबायोलॉजी) पदकोड:- 012								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	3	0	0	0	0	0	3
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		4	0	0	0	0	0	4

पदनाम:- प्रोफेसर (ऑब्स एण्ड गायनी) पदकोड:- 013								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	0	0	0	0	0	0	0
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		1	0	0	0	0	0	1

पदनाम:- प्रोफेसर (ऑप्टैल्मोलॉजी) पदकोड:- 014								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- प्रोफेसर (आर्थोपीडिक्स) पदकोड:- 015								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	0	0	0	0	0	0	0
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		1	0	0	0	0	0	1

पदनाम:- प्रोफेसर (ओटो-राइनो-लेरिंगोलॉजी) पदकोड:- 016								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षेत्रीय आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू0पू0सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	0	0	0	0	0	0	0
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		1	0	0	0	0	0	1

पदनाम:- प्रोफेसर (पैथोलॉजी) पदकोड:- 017								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षेत्रीय आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू0पू0सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		3	0	0	0	0	0	3

पदनाम:- प्रोफेसर (पीडियाट्रिक्स) पदकोड:- 018								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षेत्रीय आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू0पू0सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		3	0	0	0	0	0	3

पदनाम:- प्रोफेसर (फार्माकोलॉजी) पदकोड:- 019								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षेत्रिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चें 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	0	0	0	0	0	0	0
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		1	0	0	0	0	0	1

पदनाम:- प्रोफेसर (फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन) पदकोड:- 020								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षेत्रिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चें 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- प्रोफेसर (फिजियोलॉजी) पदकोड:- 021								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षेत्रिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चें 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- प्रोफेसर (साईकेट्री) पदकोड:- 022								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- प्रोफेसर (रेडियोडायग्नोसिस) पदकोड:- 023								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		3	0	0	0	0	0	3

पदनाम:- प्रोफेसर (रेडियोथेरेपी) पदकोड:- 024								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		3	0	0	0	0	0	3

पदनाम:- प्रोफेसर (रेस्पीरेट्री मेडिसिन) पदकोड:- 025								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर विषयवार
क्षैतिज आरक्षण की गणना

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (एनेस्थीसिया) पदकोड:- 051								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू0पू0सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य/अनारक्षित	4	1	0	0	0	0	3
2	अनु० जाति	2	0	0	0	0	0	2
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	0	0	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0	0	0	0	0	1
योग		8	1	0	0	0	0	7

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (एनॉटमी) पदकोड:- 052								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (बॉयोकेमिस्ट्री) पदकोड:- 053								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		3	0	0	0	0	0	3

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (ब्लड बैंक) पदकोड:- 054								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5%	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (कम्युनिटी मेडिसिन) पदकोड:- 055								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5%	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	0	0	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		4	0	0	0	0	0	4

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (डेंटिस्ट्री) पदकोड:- 056								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (डर्मटोलॉजी) पदकोड:- 057								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (इमरजेन्सी मेडिसिन) पदकोड:- 058								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (फॉरेन्सिक मेडिसिन) पदकोड:- 059								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1	2	6	7	8	9	10	11	13
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		02	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (जनरल मेडिसिन) पदकोड:- 060								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	7	1	0	0	0	0	6
2	अनु० जाति	3	0	0	0	0	0	3
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	0	0	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0	0	0	0	0	1
योग		12	1	0	0	0	0	11

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (जनरल सर्जरी) पदकोड:- 061								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	5	1	0	0	0	0	4
2	अनु० जाति	3	0	0	0	0	0	3
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	0	0	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1	0	0	0	0	0	1
योग		10	1	0	0	0	0	9

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (माइक्रोबायोलॉजी) पदकोड:- 062								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		3	0	0	0	0	0	3

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (ऑब्स एण्ड गायनी) पदकोड:- 063								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षेत्रिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चें 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	3	0	0	0	0	0	3
2	अनु० जाति	2	0	0	0	0	0	2
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	0	0	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		6	0	0	0	0	0	6

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (ऑथैल्मोलॉजी) पदकोड:- 064								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षेत्रिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चें 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (आर्थोपीडिक्स) पदकोड:- 065								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षेत्रिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चें 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	3	0	0	0	0	0	3
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	0	0	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		5	0	0	0	0	0	5

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (ओटो-राइनो-लेरिंगोलॉजी) पदकोड:- 066								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षेत्रीय आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू0पू0सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	3	0	0	0	0	0	3
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		4	0	0	0	0	0	4

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (पैथोलॉजी) पदकोड:- 067								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षेत्रीय आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू0पू0सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	5	1	0	0	0	0	4
2	अनु० जाति	2	0	0	0	0	0	2
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	0	0	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		8	1	0	0	0	0	7

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (पीडियाट्रिक्स) पदकोड:- 068								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षेत्रीय आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू0पू0सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	2	0	0	0	0	0	2
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	1	0	0	0	0	0	1
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		5	0	0	0	0	0	5

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (फार्माकोलॉजी) पदकोड:- 069								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू0पू0सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		3	0	0	0	0	0	3

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन) पदकोड:- 070								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू0पू0सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (फिजियोलॉजी) पदकोड:- 071								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू0पू0सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		3	0	0	0	0	0	3

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (साइकेट्री) पदकोड:- 072								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		3	0	0	0	0	0	3

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (रेडियोडायग्नोसिस) पदकोड:- 073								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	4	1	0	0	0	0	3
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		5	1	0	0	0	0	4

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (रेडियोथेरेपी) पदकोड:- 074								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	1	0	0	0	0	0	1
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		2	0	0	0	0	0	2

पदनाम:- एसोसिएट प्रोफेसर (रेस्पिरेट्री मेडिसिन) पदकोड:- 075								
क्र०सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	अधियाचित (भरे जाने वाले) पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण					अन्य
			महिला 30%	भू०पू०सैनिक 5 %	स्व.स.से. आश्रित 2%	शारीरिक रूप से दिव्यांग 4%	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों 5 %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	सामान्य	2	0	0	0	0	0	2
2	अनु० जाति	1	0	0	0	0	0	1
3	अनु०जन०जाति	0	0	0	0	0	0	0
4	अन्य पिछडा वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	0	0	0	0	0	0	0
योग		3	0	0	0	0	0	3